न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 72 / 22 दायरा दिनांक 21.12.2022

1–लिथरू पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

2–पुरूषोत्तम पुत्र कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

3–गुड्डी पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

4–रामकली पुत्री कंवरलाल जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

5–भूरिया पत्नि मुरारीलाल –फोत

5.1–राजेन्द्र पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.2–संतोष पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.3–अशोक पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.4–अरविन्द पुत्र मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.5–गुड्डी पुत्री मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.6–शीला पुत्री मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

5.7–सुरभि पुत्री मुरारीलाल जाति किराड निवासी समरानियां तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज0

6–जगदीश पुत्र चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

7–गुमान सिंह पुत्र चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

8–चैयति बाई पुत्री चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0

9–परमो वेवा चिन्टू जाति किराड निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहावाद जिला–बारां राज0 वादीगण

बनाम

1–ग्राम पंचायत कस्बानौनेरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत कस्बानौनेरा जिला–बारां राज0

2–स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राज0

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:50:15 IST
Reason: SelfAttested

वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 14.05.2025

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपस्थित–
वादीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की ग्राम कस्बानौनेरा पटवार क्षेत्र कस्बानौनेरा में ख0नं0 474 रकबा 7.01 बीघा कृषि भूमि स्थित है। वादीगण वहैसियत कृषक उक्त भूमि पर निरंतर काबिज काश्त हैं। वादीगण के अलावा प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि को आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है, जिस पर वादीगण शान्तिपूर्वक बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त हैं। उक्त खाते की जमीन का वादीगण का पत्थर कोट रखा हुआ है। प्रतिवादीक्रम 1 बिना किसी विधिक अधिकार के वादीगण के खाते की जमीन में दिनांक 06.10.2022 ख0नं0 474 रकबा 7.01 बीघा में से रकबा लगभग 2.10 बीघा में चूने की लाइन डालकर प्लाट की प्लानिंग तीव्र गति से प्ररंभ कर दी है। प्रतिवादीक्रम 1 ने गलत व फर्जी तरीके से सीमाज्ञान करवाकर वादीगण के खाते की जमीन आवासीय भूमि बताकर वादीगण को बेदखल करने को आमादा हैं। वादीगण द्वारा मना करने पर बेदखल करने की धमकी देते हैं। प्रतिवादीक्रम 1 के कृत्य व धमकी से वादीगण को अपने हक काश्त को भारी आसन्न संकट उत्पन्न हो गया है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादीक्रम 1 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करें। वादकारण दिनांक 16.10.2022 को आराजी में चूने की लाइन डालने पर उत्पन्न हुआ। अतः प्रतिवादीक्रम 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादीक्रम 1 विवादित भूमि ग्राम कस्बानौनेरा पटवार क्षेत्र कस्बानौनेरा में ख0नं0 474 रकबा 7.01 बीघा के किसी भी भाग पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य/प्लाट की प्लानिंग नहीं करें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीक्रम 1 द्वारा पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जबाव पेश नहीं किया और जबाव पेश नहीं करना चाहे जाने पर जबाव बंद किया गया। संलग्न पत्रावली नकल जमाबंदी ग्राम कस्बानैनेरा तहसील शाहाबाद सम्वत 2071–74 खाता संख्या 269 अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 474 रकबा 7.01 बीघा वादीगण के रिकार्डेड खातेदारी की है, जिसमें मजाहमत व मदाखलत करने का प्रतिवादीक्रम 1 को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीक्रम 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 474 रकबा 7.01 बीघा ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद की हद तक वादीगण के कब्जा काश्त में कोई मजाहमत अथवा मदाखलत नहीं करेंगे। निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:50:15 IST
Reason: SelfAttested